

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 1980/ज्येष्ठ 28, 1902

No. 251] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 1980/JYAISTHA 28, 1902

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके**

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation**

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 जून, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का०आ० 436(अ)/सं० ई(सी) ओ, 1977/ए एम (164) :—प्रायात तथा निर्यात (नियंत्रण)
प्रधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राधिकारों का प्रयोग कर,
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 21वें संशोधन आदेश, 1980 की सजा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में खूने सामान्य लाइसेंस-3 की क्रम सं० 4(5) के बाद निम्नलिखित दो जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
"4 (5)	500 ग्राम और इससे अधिक आकार वाली नार्जी और जर्मी हुई मिलकर पोम्फ्रेट्स।	बी-7	—

[मिमित संख्या 1/10/79-ई-1/नीति-1]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 18th June, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 436(E)/No. E(C) O, 1977/AM (164).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twenty-first Amendment Order, 1980.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL 3, the following shall be added after S. No. 4(iv) :—

1	2	3	4
"4(v)	Fresh and frozen silver pomfrets of sizes 500 Grams and above	B.7	—

[File No. 1/10/79-EI/Vol. II]

MANI NARAYANSWAMI,

Chief Controller, Imports & Exports